

विषय सूची

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
<i>प्राक्कथन</i>	--	v
<i>कार्यकारी सारांश</i>	--	vii
अध्याय 1: परिचय		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति	1.2	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	2
संगठनात्मक संरचना	1.5	3
अध्याय 2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों, नियमों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के बीच विसंगति	2.1	5
मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार/क्रियान्वित नहीं किया जाना	2.2	6
निष्कर्ष	2.3	7
अनुशंसाएं	2.4	7
अध्याय 3: प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों का पंजीयन		
प्रतिष्ठानों का पंजीयन	3.1	9
हितग्राहियों का पंजीयन	3.2	10
निष्कर्ष	3.3	14
अनुशंसाएं	3.4	14
अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन		
प्राप्ति एवं व्यय का अवास्तविक बजट अनुमान तैयार करना	4.1	15
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के ₹ 631.58 करोड़ का उपयोग न होना	4.2	16
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से व्यय	4.3	18

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में ₹ 1.91 करोड़ की भरपाई नहीं किया जाना तथा प्रतीक्षा केंद्रों के निर्माण पर राशि ₹ 70 लाख का निष्फल व्यय	4.4	21
उपकर का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बजाय चेक से किया जाना	4.5	22
आयकर के लिए ₹ 4.45 करोड़ का परिहार्य भुगतान	4.6	22
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वार्षिक लेखों को तैयार न करना और प्रस्तुत न करना	4.7	23
निष्कर्ष	4.8	24
अनुशंसाएं	4.9	24
अध्याय 5: संसाधन		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपकर का संग्रह	5.1	27
निष्कर्ष	5.2	30
अनुशंसाएं	5.3	30
अध्याय 6: कल्याणकारी उपायों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	6.1	31
हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम	6.2	41
निष्कर्ष	6.3	42
अनुशंसाएं	6.4	43
अध्याय 7: शासन और मानव संसाधन प्रबंधन		
राज्य सलाहकार समिति	7.1	45
मंडल की बैठकों में कमी	7.2	46
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक संविदा कर्मियों की नियुक्ति	7.3	46
निष्कर्ष	7.4	49
अनुशंसाएं	7.5	49
अध्याय 8: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निगरानी तंत्र		
प्रतिष्ठानों एवं मजदूरों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र न होना तथा सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने का निरीक्षण नहीं किया जाना	8.1	51

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम	8.2	52
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना	8.3	54
सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन नहीं किया जाना	8.4	54
निष्कर्ष	8.5	55
अनुशंसाएं	8.6	55

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	(i) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित जिलों का विवरण (ii) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण	1.2	57
3.1	वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना जांच किए गए पांच जिलों में चयनित इकाइयों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या का विवरण	3.1.1	58
3.2	मृत्यु के बाद पंजीकृत हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	61
3.3	पंचनामा के आधार पर अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	62
3.4	बिना उचित सत्यापन के किये गये पंजीयन का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	65
3.5	हितग्राहियों की जन्मतिथि में विसंगति दर्शाने वाला पत्रक	3.2.3	68
4.1	विभागीय अधिकारियों को वितरित लैपटॉप का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.3.2.3	71
4.2	निर्माणाधीन प्रतीक्षा केन्द्रों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.4	72
6.1	वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए योजनाओं में प्राप्ति, व्यय और हितग्राहियों की संख्या दर्शाने वाला पत्रक	6.1	73
6.2	अपात्र हितग्राहियों की वर्षवार संख्या दर्शाने वाला पत्रक	6.1.2	74
6.3	मृत्यु के बाद बीमित हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	6.1.4	75
6.4	हितग्राहियों के बीमा कवरेज से वंचित होने को दर्शाने वाला पत्रक	6.1.4	76